भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1369

उत्तर देने की तारीख-28/07/2025

समग्र शिक्षा अभियान के तहत उपयोग की गई धनराशि

†1369. श्री आनंद भदौरिया:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत वित्तपोषित बंद/विलय किए गए विद्यालयों का राज्य-वार संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 2025-26 के दौरान बंद/विलय किए जाने वाले प्रस्तावित एसएसए के अंतर्गत वित्तपोषित विद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उत्तर प्रदेश के मामले में इसका जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में यह अनिवार्य किया गया है कि एक प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1-5) बच्चे के पड़ोस के एक किलोमीटर के दायरे में और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6-8) तीन किलोमीटर के दायरे में स्थापित किया जाना चाहिए; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि बड़ी संख्या में विद्यालय बंद/विलय किए जाते हैं, तो सरकार किस हद तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्कूल शिक्षा के संकेतकों पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज+) विकसित की है। यूडाइज+ के अनुसार, विगत 5 वर्षों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सरकारी स्कूलों की संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और स्कूलों को खोलना, विलय करना/बंद करना संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है - जो बच्चों को

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत उपयुक्त सरकार हैं।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 बच्चों को सीमांकित क्षेत्र या पड़ोस की सीमा के भीतर प्राथमिक विद्यालयों तक पहुंच प्रदान करता है। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 6 के अनुसरण में, केंद्रीय आरटीई नियमों में प्रावधान है कि प्राथमिक विद्यालय पड़ोस से एक किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा और उच्चतर प्राथमिक विद्यालय पड़ोस से तीन किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिए अपने राज्य की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने पड़ोस के मानदंडों के क्षेत्र या सीमाओं को अधिसूचित किया है। उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, जिन्होंने माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए पड़ोस के मानदंडों को अधिसूचित नहीं किया है, समग्र शिक्षा के तहत 5 किलोमीटर के भीतर माध्यमिक विद्यालय और 7-10 किलोमीटर के भीतर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए उनकी व्यवहार्यता और लागत प्रभावशीलता सुनिश्चित करते हुए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन बस्तियों के लिए जो अभी भी स्कूल से वंचित हैं (ज्यादातर छोटे या दुर्गम क्षेत्रों में विरल आबादी वाले) जहां स्कूल खोलना संभव नहीं है, दसवीं कक्षा तक प्रति बच्चा प्रति वर्ष औसतन 6000 रुपये की दर से परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर बल देती है कि यद्यपि स्कूलों का एकीकरण एक विकल्प है जिस पर अक्सर चर्चा की जाती है, इसे बहुत विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, और केवल तभी जब यह सुनिश्चित हो जाए कि पहुंच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा (पैरा 7.4)। इसी प्रकार, प्राथमिक विद्यालयों तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, आरटीई अधिनियम में सीमांकित क्षेत्र या पड़ोस की सीमाओं के भीतर उपयुक्त सरकार द्वारा विद्यालयों की स्थापना को अनिवार्य बनाया गया है (धारा 6)। इसलिए उच्चतर प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर बेहतर शिक्षण परिणाम और उचित छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) प्राप्त करने के लिए, कुछ राज्यों ने जनता की आकांक्षाओं के अनुसार बड़े स्कूल स्थापित करने के लिए उपयुक्त कार्यनीति अपनाई है।

स्कूल परिसर/क्लस्टर का उद्देश्य क्लस्टर में स्कूलों की अधिक संसाधन दक्षता और अधिक प्रभावी कार्यप्रणाली, समन्वय, नेतृत्व, शासन और प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

******

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री आनंद भदौरिया द्वारा 'समग्र शिक्षा अभियान के तहत उपयोग की गई धनराशि' के संबंध में दिनांक 28.07.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1369 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विगत 5 वर्षों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सरकारी स्कूलों की संख्या निम्नानुसार है:

भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
भारत	1032570	1032049	1022386	1016010	1017660
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	342	342	342	342	340
आंध्र प्रदेश	45115	45145	45137	45167	45000
अरुणाचल प्रदेश	3056	3061	2985	2922	2847
असम	47157	46749	45490	44925	45008
बिहार	72610	75555	75558	75550	78120
चंडीगढ़	121	121	123	119	119
छत्तीसगढ	48547	48619	48743	48728	48803
दादरा एवं नगर हवेली	300	407	388	387	360
दमन और दीव	109				
दिल्ली	2767	2751	2762	2673	2693
गोवा	827	821	814	806	789
गुजरात	35040	34967	34699	34651	34597
हरियाणा	14484	14563	14562	14443	14374
हिमाचल प्रदेश	15398	15391	15380	15447	15217
जम्मू एवं कश्मीर	23165	23167	23173	18785	18785
झारखंड	35931	35888	35840	35764	35795
कर्नाटक	49834	49791	49679	49520	49306
केरल	5014	5020	5010	4811	4809
लद्दाख	913	915	838	841	841
लक्षद्वीप	45	45	38	37	37
मध्य प्रदेश	99411	99152	92695	92741	92439
महाराष्ट्र	65886	65734	65639	65431	65157
मणिपुर	2876	2878	2889	2922	2934
मेघालय	7799	7795	7783	7778	7779
मिजोरम	2552	2558	2563	2567	2587
नागालैंड	2011	1975	1960	1954	1952
ओडिशा	53260	50256	49072	48767	48671
पुदुचेरी	422	422	422	422	420
पंजाब	19377	19330	19259	19245	19242
राजस्थान	67660	68813	68948	69538	70233
सिक्किम	851	851	864	864	864
तमिलनाडु	37579	37589	37636	37658	37672
तेलंगाना	30001	30015	30023	29997	30022
त्रिपुरा	4275	4265	4262	4245	4238
उत्तर प्रदेश	137638	137068	137024	137003	137102
उत्तराखंड	16741	16651	16484	16381	16201
पश्चिम बंगाल	83456	83379	83302	82579	82307

स्रोत: यूडाईज, यूडाईज+

*****